सद्भाव, प्रेम और आशा का प्रतीक है क्रिसमसः विधायक

संवाददाता

सिमडेगा : सिमडेगा विधायक भूषण बाड़ा ने क्रिसमस की पूर्व संध्या पर जिलेवासियों को क्रिसमस की शुभकामनाएं दी है। उन्होंने कहा है कि क्रिसमस का त्यौहारा सद्भाव, प्रेम व आशा का प्रतीक है। क्रिसमस का यह बड़ा दिन प्रभु यीशू मसीह के जन्म की खुशी में मनाया जाने वाला पर्व है। प्रभु यीशू मसीह का शांति, प्यार व दया का संदेश दुनिया भर के लोगों को एकता की राह दिखाता है। इसलिए हम प्रत्येक को हमारे जीवन के हर क्षण, हर दिन को लोगों के साथ शांति, प्रेम और मेल-मिलाप से जीना चाहिए। जिस अच्छे काम को हम अभी कर सकते हैं, उसे बाद के लिए नहीं टालना चाहिए। क्योंकि यह अवसर दुबारा न आता है। उन्होंने कहा है कि 2021 का क्रिसमस, कोरोना महामारी के कारण एक खास क्रिसमस होगा। इन सभी पीड़ाओं के बीच प्रभु येसु का जन्म इस घायल मानव जाति के लिए आशा का संदेश लायेगा, जो इस समय पहले अधिक जरूरी है। कहा कि क्रिसमस प्रभु यीशु का अनुपम उपहार है। यह दिन सभी से प्रेम करने, पापियों को क्षमा करने व अपने पापों के लिए प्रभु से प्रार्थना करने का है। मानव जाति के पापों के प्रायश्चित के लिए यीशु मसीह ने अपने जीवन को बलिदान के रूप में क्रूस पर दिया। यह ईश्वर का असीम प्रेम का प्रदर्शन है। पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है परमेश्वर प्रेम है। परमेश्वर के प्रेम में कोई भेदभाव नहीं है अर्थात परमेश्वर का प्रेम विश्व के सभी जाति, जनजाति, प्रजाति, राष्ट्र एवं समुदाय के स्त्री-पुरुषों के लिए है। हमें आपसी प्रेम व भाईचारा को बनाएं रखने की जरूरत है।

जोसिमा खाखा ने भी दी क्रिसमस पर्व की शुभकामनाएं

विधायक की धर्मपत्नी सह कांग्रेसी नेत्री जोसिमा खाखा ने भी जिलेवासियों को क्रिसमस पर्व की बधाई दी है। उन्होंने कहा है कि प्रभु ईशा मसीह ने भी लोगों में प्रेम का संदेश बांटा था। उन्होंने कहा कि सभी धर्म हमें प्रेम की सीख देते है। ऐसे में हम सबों को इसे अपनाना चाहिए। देश में शांति की जरूरत है। उन्होंने कहा कि अमन शांति से रहना सीखें, तभी कल्याण होगा।

संक्षिप्त

रात्रि चौपाल लगाकर कोरोना का लगवाया गया वैक्सीन

घाघराः चांदनी चौक में प्रखंड प्रशासन द्वारा रात्रि चौपाल लगाकर लोगो को कोरोना का लगवाया गया वैक्सीन घाघरा प्रखंड मुख्यालय के चांदनी चौक में प्रखंड प्रशासन द्वारा रात्रि चौपाल लगाकर गुरुवार की देर शाम कोरोना का वैक्सीन लोगों को लगवाया गया।मौके पर प्रखंड विकास पदाधिकारी बिष्णुदेव कच्छप ने संबोधित करते हुए कहा कि दुकानदार,किसान , गाड़ी चालक, मजदूर राहगीर सहित अन्य लोगों के लिए जिनके पास समय का बहुत पावंदी होती है उनके लिए यह विशेष चौपाल के माध्यम से कोरोना का वैक्सीन दिलाने के लिए यह पहल की गई है।ताकि अधिक से अधिक लोगों कोरोना का वैक्सीन दिलाया जा सके। क्योंकि कोरोना से एक मात्र बचने का उपाय वैक्सीन लेना है। वही भिक्षाटन करके परिवार चलाने वाले 3 लोगो के बीच कम्बल बितरण प्रखण्ड प्रशासन द्वारा किया गया।मौके पर उपस्थित लोगों में उप प्रमुख कृष्णा कुमार लोहरा,जीप सदस्य तेम्बू उराव,मुखिया गीता कुमारी, बीपीओ बिपिन कुमार,पंचायत सेवक कुँवर राम मोची,एएनएम प्रियंका कुमारी,अमित ठाकुर ,श्याम किशोर पाठक, आशीष सोनी,,रवि पहान,राजू सिंह तोमर, सलावन्ति देवी,संजोती देवी,शीला कुजूर,सहित कई लोग उपस्थित थे।

सिसई कॉलेज प्रशासन पर लगाया गंभीर आरोप

सिसई:-सिसई प्रखंड बरगांव बरटोली गांव निवासी लक्ष्मीनाथ भगत ने सिसई कॉलेज प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाया है उन्होंने कहा कि पूर्खो से कॉलेज रोड मे मेरा रैयती जमीन है जिसका खाता नंबर 72 है उसमे बीएन जलान कॉलेज के पूर्व प्राचार्य बीपी वर्मा ने हमको और हमारे दो बेट्टा को कॉलेज मे ही सरकारी नौकरी दिलादेंगे का शन्तवना देकर 2019-2020मे कॉलेज मे नया सरकारी भवन भी निर्माण करा दिया गया।भवन पूर्ण होने से पहले ही बीपी बर्मा का तबादला हो गया।अब 2021 मे भवन बन कर पूर्ण भी हो चुका है उसके बाद हमलोग को अब नौकरी नही दिया जा रहा है उपर से मेरा जमीन को भी धोखा देकर जबरदस्ती कॉलेज प्रशासन ने कब्जा कर लिया। जिसमे कॉलेज प्रशासन की तरफ से जो कागजात सौपा गया था उसमे जांच रिपोर्ट मे सीओ ने साफ साफ लिख कर दिया कि जमीन का कोई भी वास्तविक कागजात कॉलेज की ओर से पेश नही किया गया है सिर्फ चुनिया भगत के नाम से,जो मेरा दादा है का एक सदा पेज मे भूदान करने का पूराना कागज दिया गया था ।

अपने स्वास्थ्य को लेकर आप रहें हमेशा जागरूक : डीसी

सिमडेगाः जिला के लिए अनुकरणीय पहल को लेकर सहयोग के लिए हाथ बढ़ायें के तहत जिला विधिक सेवा प्राधिकार एवं जिला प्रशासन के द्वारा आयोजित मेडिका अस्पताल राँची के प्रबंधक डॉ0 विजय कुमार मिश्रा ने मेडिका के डॉक्टरों सहित मेडिकल टीम एवं दवाईयों के साथ कुरडेग प्रखण्ड के माईकल किन्डो स्टेडियम में आयोजित मेगा स्वास्थ्य शिविर में उपस्थित हुये।

आदिम जनजाति परिवारों की सेवा हेतु जिला प्रशासन के द्वारा सफल आयोजन करते हुए एक बेहतर सुविधा एवं व्यवस्थाएं बहाल की गई थी। शामियाना का अधिष्ठापन करते हुए जांच केन्द्र, दवाखाना, 5 डॉक्टर के चेम्बर, रजिस्ट्रेशन काउण्टर, आयुष्मान काउण्टर, मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता योजना की व्यवस्था, ई-श्रम सहित मंच की साज-सज्जा की गई थी। मेगा स्वास्थ्य शिविर में लगभग 2 हजार लोगों ने अपनी उपस्थित दर्ज करते हुए आयोजन को सफल बनाया। मेडिका के द्वारा स्वास्थ्य जांच के साथ ग्रामीणों के बीच कम्बल, महिलाओं के लिए साड़ी, स्वेटर, बच्चों का कपड़ा सहित बच्चे बड़े बुजूर्ग के बीच गर्म वस्त्र का भी वितरण किया गया। प्रबंधक ने कैम्प के बेहतर आयोजन एवं ग्रामीणों की उपस्थित की सराहना की। डॉक्टरों ने अलग-अलग पाँच काउन्टर में बैठक कर आदिम जनजाति परिवारों का स्वास्थ्य इलाज एवं बिमारी से पीड़ित व्यक्ति का सेवा भाव से इलाज किया। मेडिका के डॉक्टरों को स्टेडियम के मुख्य द्वारा से मंच तक नृत्य करते हुए स्वागत कर लाया गया।

लोगों की सेवा में हमेशा हूं तत्परः श्रद्धानंद बेसरा

सिमडेगाः भाजपा पूर्व प्रत्याशी श्रद्धानंद बेसरा , तमड़ा मुखिया एवं भाजपा किसान मोर्चा अध्यक्ष हीराराम, ओबीसी मोर्चा अध्यक्ष महेश साहू, राम किशुन केसरी, शंकर पासवान, मुकेश मनमौजी, रवि वर्मा इत्यादि भाजपा कार्यकताओं ने पाकर डांड, प्रखंड के भेलवाढीह ग्राम जाकर विगत 19 दिसंबर को हत्या कर दिए गए। दिवंगत जुगल साहू के संतप्त परिवारवालों से मिलकर संतवाना प्रकट किए साथ ही चावल, दाल, कंबल एवं सहयोग राशि प्रदान कर छोटा सा सहयोग, परिवार वालों को प्रदान किए। इससे पूर्व भी श्रद्धानंद बेसरा , हीरा राम एवं रवि वर्मा ने जुगल साहू के पार्थिव शरीर को पोस्टमार्टम करने से लेकर घर तक पहुंचाने का कार्य किए थे । परिवार और गांव वालों के सूचना पर श्रद्धानंद बेसरा ने प्रखंड विकास पदाधिकारी पाकरडांड से फोन के द्वारा बातचीत किए एवं परिवार वालों को दुख की इस घड़ी में प्रखंड विकास पदाधिकारी को सभी तरह का सहयोग करने के लिए बातें कहीं। साथ ही थाना प्रभारी पाकर डांड से भी फोन के द्वारा श्रद्धानंद बेसरा ने बातचीत किया एवं हत्यारों को जल्द गिरफ्तार करने की बात कही।

शिविर लगाकर योजनाओं की दी जानकारी

गुमलाः आपके अधिकार-आपकी सरकार आपके द्वारह्व कार्यक्रम के तहत बिशुनपुर के घाघरा पंचायत के जोरी में मुख्य रूप से जिला से उप विकास आयुक्त श्री कर्ण सत्यार्थी जी के पर्यवेक्षण में शिविर लगाकर सरकार के विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देने के साथ-साथ संबंधित पंचायतवासियों से उनकी समस्याओं एवं मांग संबंधित आवेदन प्राप्त किया गया।बिशुनपुर प्रखंड के घाघरा पंचायत में आयोजित पंचायतस्तर शिविर में उप विकास आयुक्त, प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं अंचलाधिकारी द्वारा पंचायतवासियों से उनके व्यक्तिगत एवं सामूहिक समस्याओं से अवगत होते हुए आवेदन प्राप्त किए गए।

उप विकास आयुक्त श्री कर्ण सत्यार्थी जी के द्वारा ग्रामीणों को संबोधित करते बताया गया कि सर्व प्रथम अपना ढ्ढ्र५ का टीका लगवाएं फिर परिवार के सभी 18 वर्ष से ऊपर आयु के लोगों का टिका लगवाये शत प्रतिशत जिस गांव का टीका करण पूर्ण हो जायेगा उसे समानित किया जायेगा तत्पश्चात उनके द्वारा बताया गया कि व्यक्तिगत लाभ से ऊपर उठ कर सार्वजनिक लाभ हेतु आवेदन समर्पित करें जिससे कि गांव का विकास होवहीं विस्तृत रूप में प्रधानमंत्री आवास योजना मनरेगा , पेंशन योजना, राशन कार्ड, जॉब कार्ड, ई-श्रम कार्ड आदि संबंधित योजनाओं काजानकारी दिया गया। कुल लगभग 300आवेदन प्राप्त कर पंजीकरण का कार्य किया गया। पंचायतस्तरीय शिविरों में पेंशन योजनांतर्गत नए आवेदकों से पेंशन का लाभ स्वीकृत करने हेतु आवेदन प्राप्त करने के साथ-साथ पेंशन हेतु प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों पर जाँचोपरांत स्वीकृति एवं लाभुकों को पेंशन प्राप्त करने में होने वाली समस्याओं का निराकरण किया गया। सामाजिक सुरक्षा के तहत जरूरतमंदों के बीच कंबल वितरण किया गया। इसके साथ ही ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत मनरेगा के जॉब कार्ड हेतु आवेदन प्राप्त करने तथा प्रवासी श्रमिकों के लिए प्राथमिकता के आधार पर जॉब कार्ड बनाने का निर्देश दिया गया।

एनपीसीआई मैपिंग का शत-प्रतिशत निष्पादन सुनिश्चित करेंः उपायुक्त

संवाददाता

गुमलाः उपायुक्त शिशिर कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में वित्तीय वर्ष 2021-22 में अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति का लाभ दिलाने हेतु एनपीसीआई मैपिंग एवं नए खाता खोलने के संबंध में समीक्षात्मक बैठक आईटीडीए भवन के सभागार में की गई। बैठक में परियोजना निदेशक आईटीडीए द्वारा बताया गया कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति हेतु कुल 78840 विद्यार्थियों के बैंक खाते खोले गए हैं, किंतु अभी भी 27927 खातों का एनपीसीआई मैपिंग विभिन्न बैंकों द्वारा लंबित है। जिसके कारण विद्यार्थियों के प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति का भुगतान भी लंबित है। उपायुक्त ने बैंकवार लंबित एनपीसीआई मैपिंग की समीक्षा की। उन्होंने 07 जनवरी तक सभी लंबित एनपीसीआई मैपिंग का शत-प्रतिशत निष्पादन सुनिश्चित करने तथा छात्रवृत्ति हेतु नए खाते भी खोलने का निर्देश शाखा प्रबंधकों एवं ब्रांच कॉर्डिनेटरों को दिया। साथ ही उन्होंने 10 जनवरी तक लंबित आधार मैपिंग का कार्य पूर्ण करने का निर्देश दिया।समीक्षा के क्रम में बैंक ऑफ इंडिया में सबसे अधिक 16000 खातों का एनपीसीआई मैपिंग लंबित है। जिसपर उपायुक्त ने नाराजगी व्यक्त करते हुए एलडीएम को 28 दिसंबर तक मैपिंग हो सकने वाले खातों की जानकारी प्रतिवेदित करने तथा नए खाते भी प्राथमिकता के आधार पर खुलवाने का निर्देश दिया।उपायुक्त ने सभी प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारियों को शाखा प्रबंधकों के साथ आपसी समन्वय स्थापित करते हुए 07 जनवरी तक नए खाते खुलवाने का कार्य करने पर जोर दिया।

एक झलक

कोरोना वैक्सिनेशन सेंटर का औचक निरीक्षण

घाघराः घाघरा बीडीओ विष्णु देव कच्छप और सीओ धनंजय पाठक ने शुक्रवार को घाघरा प्रखंड में में चल रहे कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर का औचक निरीक्षण किया ।इस क्रम में घाघरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, टोटाम्बी,चपका,नवडीहा, खटगा वैक्सीनेशन सेंटर पहुंच उपस्थित एएनएम ,सहिया और आंगनबाड़ी सेविका को कई दिशा निर्देश दिया। मौके पर सीओ धनंजय पाठक ने वैक्सीनेशन को लेकर कई आवश्यक दिशा निर्देश दिया। साथ ही लोगों को बताया कि कोरोना से बचने का एकमात्र उपाय कोरोना वैक्सीन लेना है ।आप ग्रामीण एक अच्छे नागरिक का पहचान दें और खुद भी वैक्सीन लगवाए और अपने आस-पड़ोस के लोगों को भी वैक्सीन लेने के लिए प्रोत्साहित करें। खुद भी सुरक्षित रहे और लोगों को भी सुरक्षित रखें ।इस क्रम में बीडीओ और सीओ ने कई ग्रामीण जो वैक्सीन नही लेना चाह रहे थे उन्हें समझा कर वैक्सीन दिलवाया। साथ ही कहा कि आगामी 15 जनवरी तक शत-प्रतिशत वैक्सीनेशन का कार्य को पूरा करना है जिसके लिए सभी ग्रामीण युवा का सहयोग जरूरी है। मौके पर उपमुखिया अरुण साहू, एएनएम, आंगनबाड़ी सेविका सहिया, सहित कई ग्रामीण उपस्थित थे।

इनोवा कार मे आग लगने से पूरा वाहन जल कर नष्ट

सिसईः सिसई गुमला राष्ट्रीय राजमार्ग 43 पर पारस नदी के समीप शुक्रवार को लगभग चार बजे अचानक एक अज्ञात इनोवा कार मे आग लगने से पूरा वाहन जल कर नष्ट हो गया।बताया जाता है कि जिस अज्ञात इनोवा कार मे आग लगी है वह कार गुमला से सिसई की ओर आ रहा था अचानक कार नागफेनी कोयल नदी के समिप से काफी रफ्तार से धुवा फेक रहा था।चालक सोचा की सायद इंजन मे गडबडी हो गया होगा सोच कर चलाते हुवे सिसई आ रहा था कि दिखा लेंगे जबतक कार सिसई पहुंचता उससे पहले ही पारस नदी के पास जैसे कार पहुंचा अचान आग धधक उठा।ये मंजर देख चालक उत्तर कर भाग गया और कार जल कर खाख हो गया।घटना की सुचना सिसई पुलिस को मिलते पुलिस घटनास्थल पहुंच चुका।साथ ही बज्र गिरी वाहन मौके पर पहुंचा तब जाकर आग को बुझाया गया।

Government of Jharkhand
Sports Authority of Jharkhand
(Dept. of Tourism, Art-Culture, Sports & Youth Affairs)
Gate No. 29, Birsa Munda Football Stadium Morabadi, Ranchi, Jharkhand 834008
Email : - sajha9@gmail.com, Website :- www.sajha.in

RFP Tender Notice No.: 02/PR/SAJHA/2021-22, dated: 23/12/2021

RFP Tender invited on two bid system part –I (Technical Bid) and Part –II (Price Bid) from the qualified software Bidders for "Selection of Agency for Designing, Developing, Hosting & Maintenance of the Web & Mobile application for digitization of Jharkhand Sports" Under Sports Authority of Jharkhand."

Description of work	Location	Bid Document Cost (Non-Refundable)	Earnest Money Deposit (Rs.) (Refundable)	Period of Contract
"Selection of Agency for Designing, Developing, Hosting & Maintenance of the Web & Mobile application for digitization of Jharkhand Sports" Under Sports Authority of Jharkhand	SAJHA Office, Birsa Munda Football Stadium, Morabadi, Ranchi.	2,500/- [Two Thousand Five Hundred Only] BOQ cost in the form of Demand Draft in favour of Sports Authority of Jharkhand, Morabadi Payable at Ranchi.	Rs.80.000/- [Eighty Thousand] only EMD in the form of Demand Draft in favour of Sports Authority of Jharkhand, Morabadi Payable at Ranchi.	As per developing work.

1.Time Schedule of Tender

Sl.No.	Particulars	Date
1.	Availability of RFP Documents	From 24.12.2021 to 12.01.2022 till 11:00 AM
2.	Downloading of RFP Bidding Documents	From 24.12.2021 to 12.01.2022 till 11:00 AM
3.	Bid Submission Start date	From 24.12.2021 to 12.01.2022 till 05:00 PM
4.	Bid Submission end date	12.01.2022 Time - 05.00 PM
5.	Venue & Date of opening of Technical Bid	20.01.2022 Time - 11.30 AM at Office of the Executive Director, Sports Authority of Jharkhand Gate No.- 29, Conference hall of Birsa Munda Football Stadium, Morabadi, Ranchi.
6.	Presentation on web developing	25.01.2022 Time - 11.30 AM
7.	Date of opening Price Bid	The Price Bids of only those firms/agencies who qualify in both eligibility and Technical evaluation will be opened. The date for opening of the Price Bid would be communicated separately to the technically eligible firms/agencies.
8.	Contact Person (for any clarification)	Executive Director, Sports Authority of Jharkhand, Ranchi E-mail Id - sajha9@gmail.com

Note: The bid documents and further details will be available on the website **www.sajha.in** Corrigendum /Amendments to tender also shall be uploaded on this website and Published in the Leading Newspapers only.

Eligible and interested bidders may submit their bid at the office of Sports Authority of Jharkhand, Ranchi Situated at Birsa Munda Football Stadium, Morabadi, Ranchi.

The technical and price bid should be as per format mentioned in the tender document, and should be addressed to "To The Executive Director, Sports Authority of Jharkhand, Gate No. 29, Birsa Munda Football Stadium, Morabadi, Ranchi, Jharkhand 834008".

The Executive Director, Sports Authority of Jharkhand, Ranchi reserves the right to accept or reject any tender or a part of it without assigning any reason thereof.

Sd./-
Executive Director,
Sports Authority of Jharkhand, Ranchi.

PR260247 (Art Culture Sports and Youth Affairs)21-22*D

आज़ादी का अमृत महोत्सव | स्वच्छ सर्वेक्षण 2022

कार्यालय नगर पंचायत, कोडरमा

आम सूचना

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि कोडरमा नगर पंचायत की ओर से शहर को स्वच्छ एवं साफ बनाने के संकल्प के साथ लोगो से अपील है कि अपने घरों एवं दुकानों में डस्टबीन रखें एवं संग्रहित कुड़ा नगर पंचायत द्वारा घर–घर कचड़ा उठाव वाहन में ही दें। घरों में निर्मित डस्टबीन का प्रयोग करें। होल्डिंग कर, ट्रेडलाईसेंस, भवन नक्शा एवं सफाई शुल्क का भुगतान समय पर करें।

कोडरमा नगर पंचायत अन्तर्गत सभी नागरिकों को सूचित किया जाता है कि खुले में शौच करना, पेशाब करना, कचड़ा फेंकना, आम रास्ता एवं सरकारी जमीन में अतिक्रमण करना दंडनीय अपराध है। ऐसा करते हुए पकड़े जाने पर निम्नलिखित दंड का प्रावधान है।

क्र०सं०	वर्ग	जुर्माने की राशि
01	आवासीय भवनों द्वारा खुले में कचरा फेंकने पर	75
02	दुकानदारों द्वारा कचरा डालने पर	500
03	रेस्तरा मालिकों के द्वारा खुले में कचरा डालने पर	1000
04	होटल मालिकों द्वारा कचरा डालने पर	1000
05	औद्योगिक प्रतिष्ठान द्वारा कचरा डालने पर	2500
06	हलवाई, चाट, फास्टफूट, आईस्क्रीम, गन्ने का रस एवं अन्य जूस, सब्जी एवं फ्रुट आदि ठेला व्यवसायियों पर	75
07	सार्वजनिक स्थान पर पेशाब करने वालों पर	50
08	गेबर सार्वजनिक स्थानों पर डालने पर	500
09	निजी मकान, दुकान इत्यादि के निमार्ण का मलबा, निर्माण सम्रागी, ईट, सीमेंन्ट, लोहा, पत्थर सरकारी भूमि पर डालने पर	500
10	निजी ट्रेक्टरों द्वारा बजरी, कचरा, मलबा, गोबर, इत्यादि परिवहन करते हुए नगर पंचायत की सड़कों पर अपनी सामग्री बिखरने व गन्दगी फैलाने पर	500
11	स्रकारी भवनों, चौराहों एवं शहर चारदीवारी को दीवारों एवं उनके गेटों पर निजी वाणिज्यिक प्रचार–प्रसार हेतु पोस्टर चिपकाने, स्लोगन लिखकर सरकारी दीवारें, ऐतिहासिक भवनों की सुन्दरता को खराब करने एवं बैनर्स लगाने पर उक्त संख्या के मालिक अथवा मौके पर पाये गये व्यक्ति से (प्रत्येक कृत्य पर)	1500
12	बिना सक्षम स्वीकृति के रोड कट करने पर	2500
13	अपने मकानों का गंदा पानी का निकास आम सड़क पर करने पर	2500
14	अपने मकान भवन का सीवरेज कनेक्शन नही लेकर सीवरेज की गंदगी आमनाली/नाले में बहाने पर	2500
15	क्रमांक 02 से 06 तक वर्णित व्यवसायियों द्वारा अपने व्यवसाय स्थल का कचरा एकत्रित रखने के लिए ढक्कनदार कचरा पात्र आवश्यक क्षमता का नही रखने पर	1000
16	दुकानदार अथवा ठेला व्यवसायियों द्वारा सड़क पर बैठकर स्कूटर एवं साईकिल रिपेयरिंग कर आयल मिट्टी एवं पानी फैला कर गन्दगी करने पर	500
17	मीट की दुकानों के सामने दुकानदार द्वारा काटे गए जानवरों की हड्डियों, मलबा, खून, मुर्गे के पंख अण्डो के छिल के इत्यादि सड़क/आम रास्तो में डाल कर गंदगी फैलाने पर	1500
18	खाली, सरकारी जमीन पर आम रास्ता, सड़क एवं मकान के सामने गाय, भैंस, बकरी, कत्ते, भेड़, ऊँट, गधा, घोड़े, सुअर इत्यादि पालतू जानवरों से गंदगी फैलाने पर	250
19	शादी/विवाह स्थलों के बाहर कचरा डालने पर	2500
20	आम रास्ता, सड़क पर खुले में या टेन्ट लगाकर खुले आम मांस–मछली पकाने व अंश सड़क पर डालने व गंदगी फैलाने पर	1000
21	सार्वजनिक स्थान, जमीन एवं सड़क के किनारे बैठकर सब्जियाँ बेचकर छिलके एव अंश सड़क पर डालने एवं गंदगी फैलाने पर	75
22	हेयर कटिंग सैलून वालों द्वारा आम रास्ता एवं सड़क पर गंदगी, बाल इत्यादि डालने पर	75
23	छुकानदारों अथवा व्यवसायियों द्वारा आम रास्ता, सड़क अथवा दुकानों के सामने की खाली, सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर भवन सामग्री डालकर व्यवसाय करने पर	2500
24	आमरास्ता, सड़क, फुटपाथ सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर, भोजनालय, ढाबा चलाकर गंदगी फैलाने पर	2000
25	प्राइवेट अस्पताल नार्सिंग होम, क्लिनिक, दवाखाना इत्यादि आमरास्ता, सड़क, फुटपाथ पर गंदगी डालकर गंदगी फैलाने पर	1500

- उपर्युक्त दंड शुल्क, निशपादन एवं परिवहन शुल्क के अतिरिक्त होगा।
- उपविधियों का लगातार उल्लंघन करने पर अभियोजन भी चलाया जा सकेगा।

ह0/–
प्रशासक
नगर पंचायत कोडरमा

PR 260320 Urban Development (21-22)_D

प्रपत्र सं. 22 [विनियमन 37(1)]
बिक्री की घोषणा
रांची में ऋण वसूली न्यायाधिकरण, झारखण्ड में
वसूली अधिकारी का कार्यालय
मामला सं. ओ.ए. केस सं. 30 ऑफ 2013 में वसूली प्रक्रिया सं. 389 ऑफ 2015

आयकर अधिनियम, 1961 की द्वितीय अनुसूची के नियम 38, 52(2) के साथ पठित बैंकों एवं वित्तीय संस्थानों के बकाया ऋणों की वसूली अधिनियम 1993 के अनुसार बिक्री की घोषणा

पेगासस एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड, मुम्बई
बनाम
मैसर्स राज स्टील एण्ड फेरो एलॉयज प्रा. लि. एवं अन्य

प्रति,

ए. मैसर्स राज स्टील एण्ड फेरो एलॉयज प्रा. लि., कंपनी अधिनियम, 1956 के अधीन पंजीकृत एक कंपनी, कार्यालय कावेरी हाउस, चौथी मंजिल, एम. जी. रोड, कोलकाता-700007 तथा फैक्ट्री का पताः ग्राम रौता, रांची रोड, डाकघर मरार, जिला-रामगढ।

बी. विजय कुमार अग्रवाल, पिता श्री सावरमल अग्रवाल, आवास मेन रोड, रामगढ़ कैण्ट., जिला-रामगढ़ तथा आवास का और एक पताः बी-ब्लॉक, फ्लैट नं. 501, हरीओम टावर, सर्कुलर रोड, रांची-834001

सी. श्रीमती रीता अग्रवाल, पति विजय कुमार अग्रवाल, आवास मेन रोड, रामगढ़ कैण्ट., जिला-रामगढ़ तथा आवास का और एक पताः बी-ब्लॉक, फ्लैट नं. 501, हरीओम टावर, सर्कुलर रोड, रांची-834001

1. चूंकि **पीठासीन अधिकारी, ऋण वसूली न्यायाधिकरण, रांची** द्वारा जारी **ओ.ए. केस नं. 30 ऑफ 2013** में वसूली प्रमाणपत्र के संबंध में प्रमाणपत्र के अनुसार आपके द्वारा भुगतेय **रु. 9,79,13,014.00 (रुपये नौ करोड़ उन्यासी लाख तेरह हजार चौदह मात्र)** के साथ उस पर ब्याज एवं देय लागत की रकम चुकता करने में आप विफल हो चुके हैं।
2. तथा अधोहस्ताक्षरी ने उक्त प्रमाणपत्र की संतुष्टि में नीचे अनुसूची में उल्लेखित संलग्न सम्पत्ति की बिक्री के आदेश जारी किया है।
3. तथा चूंकि दिनांक **29.11.2019** को **रु. 9,79,13,014.00 (रुपये नौ करोड़ उन्यासी लाख तेरह हजार चौदह मात्र)** के साथ दिनांक 13.01.2013 से दावे की रकम की अंतिम वसूली तक मासिक विराम के साथ प्रतिवर्ष 10% की दर से वादाकालीन तथा भविष्य के ब्याज के अलावा रु. 1,50,000/- (रुपये एक लाख पचास हजार मात्र), प्रमाणपत्र के अनुसार, की रकम बकाया होगी।
4. एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि किसी भी तरह के स्थगन आदेश की अनुपस्थिति में **ई-नीलामी द्वारा उक्त सम्पत्ति की बिक्री की जाएगी तथा बोलियां मैसर्स ई-प्रोक्योरमेंट टेक्नोलॉजिस लि. की वेबसाइट https://drt.auctiontiger.net के जरिए "ऑन लाइन इलेक्ट्रॉनिक बोली" दिनांक 11.02.2022 को पूर्वाह्न 11.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक लगाई जाएगी साथ में जरूरत पड़ने पर दोपहर 12 बजे के उपरांत 5 मिनट की अवधि विस्तारित की जाएगी।**
   और अधिक विवरण के लिए वसूली अधिकारी का कार्यालय, ऋण वसूली न्यायाधिकरण, रांची सम्पर्क नं. 0651-2214021, मोबाइल नं. 9431106777 से सम्पर्क करें।

4.1 ऊपर नामित प्रमाणपत्र कर्जदार की नीचे अनुसूची में किए गए उल्लेखित सम्पत्ति तथा उक्त सम्पत्ति के संबंध में अब तक ज्ञात देनदारियां तथा दावों, जिसका उल्लेख प्रत्येक लॉट के समक्ष अनुसूची में किया गया है, के साथ संबंधित सम्पत्ति की बिक्री की जाएगी।

4.2 अनुसूची में किए गए उल्लेख के अनुसार सम्पत्ति लॉट में बिक्री के लिए रखी जाएगी। सम्पत्ति के एक हिस्से की बिक्री से अगर संतोषजनक रकम की वसूली होती है, तो शेष बची हुई सम्पत्ति की नीलामी अविलम्ब रोक दी जाएगी। अगर पहले ही नीलामी नीचे गिर जाता है, तो भी बिक्री रोक दी जाएगी। उक्त प्रमाणपत्र में उल्लेखित बकाया राशि, ब्याज की लागत (बिक्री की लागत सहित) बिक्री संचालनकर्त्ता अधिकारी को प्रदान करना होगा अथवा संबंधित प्रमाणपत्र की कीमत, ब्याज तथा लागत का भुगतान अधोहस्ताक्षरी के पास जमा किए जाने से संबंधित संतोषजनक साक्ष्य प्रस्तुत करना होगा।

4.3 बिक्री के संबंध में प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी तरह का कार्य करने वाला अन्य कोई भी अधिकारी अथवा व्यक्ति बिक्री की गई सम्पत्ति में कोई हित अर्जित करने अथवा अर्जित करने का प्रयास नहीं कर सकते हैं। बिक्री आयकर अधिनियम, 1961 की द्वितीय अनुसूची में निर्धारित शर्तों तथा उसके अधीन गठित नियम तथा नीचे उल्लिखित शर्तों के अनुसार संचालित होगी।

4.4 संलग्न अनुसूची में निर्धारित विवरण अधोहस्ताक्षरी की सर्वश्रेष्ठ जानकारी में जारी किया गया है। परंतु अधोहस्ताक्षरी इस घोषणा के संबंध में किसी भी तरह की त्रुटि, गलत विवरण अथवा भूल के लिए जवाबदेह नहीं होगा।

5 क) आरक्षित मूल्य जिसके नीचे सम्पत्ति की बिक्री नहीं की जाएगी का विवरण नीचे उल्लेखित है

अचल सम्पत्तियों का विवरण	आरक्षित मूल्य	ईएमडी
अनुसूची 'ए' बिक्री विलेख सं. 16946 दिनांकित 03.12.2003 के तहत गिरवी पर रखी गई सम्पत्ति प्लॉट नं. 335, खाता नं. 29/41, क्षेत्रफल 220 डेसिमल, मौजा रौता थाना मांडू, थाना नं. 146, डाकघर-मरार, राज्य-झारखण्ड तथा चौहद्दीः उत्तर मेंः परती कादिम, दक्षिण मेंः ऊषा अग्रवाल, पूर्व मेंः निज विक्रेता, पश्चिम मेंः परती कादिम। **अनुसूची 'बी'** बिक्री विलेख सं. 11866 दिनांकित 20.07.2007 के तहत गिरवी पर रखी गई सम्पत्ति प्लॉट नं. 335, खाता नं. 29/41, क्षेत्रफल 600 डेसिमल, मौजा रौता थाना मांडू, थाना नं. 146, डाकघर-मरार, राज्य-झारखण्ड तथा चौहद्दीः उत्तर मेंः रीता अग्रवाल, दक्षिण मेंः रामा पिलानिया, पूर्व मेंः निज विक्रेता तारा देवी, पश्चिम मेंः परती कादिम।	रु.1,70,00,000/-	रु. 17,00,000/-

6. **इच्छुक बोलीदाताओं को ईएमडी के साथ पैन कार्ड, पहचान के साक्ष्य, पता के साक्ष्य इत्यादि तथा कंपनी के मामले में कंपनी के बोर्ड सदस्यों द्वारा पारित प्रस्ताव की प्रतिलिपि अथवा कंपनी के प्रतिनिधित्व/अटर्नी प्रदान करने की पुष्टी करने वाला कोई भी दस्तावेज दिनांक 09.02.2022 को अपराह्न 4.00 बजे से पहले वसूली अधिकारी, डीआरटी, रांची के पास जमा करना होगा तथा तदुपरांत वे दिनांक 11.02.2022 को पूर्वाह्न 11.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक आयोजित होने वाली ई-नीलामी में भाग लेने के पात्र होंगे। अगर बोली नीलामी के बंद के समय के अंतिम 5 मिनट में लगाई जाती है तो बंद होने का समय स्वतः ही 5 मिनट के लिए विस्तारित हो जाएगा।**
7. **ईएमडी डिमांड ड्राफ्ट की शक्ल में वसूली अधिकारी, डीआरटी, रांची के पक्ष में वसूली अधिकारी, ऋण वसूली न्यायाधिकरण, पांचवीं मंजिल, आरआरडीए बिल्डिंग, कचहरी चौक, रांची के समक्ष जमा करना होगा।**
8. बोलीदातागण अपने प्रस्ताव **रु. 5,00,000/- के गुणक** में वृद्धि कर सकते हैं। बोली की रकम अथवा बोलीदाता से संबंधित कोई भी विवाद उत्पन्न होने पर लॉट को दोबारा नीलामी के लिए रखा जाएगा।
9. असफल बोलीदातागण अपनी ईएमडी की राशि ई-नीलामी बिक्री की प्रक्रिया समाप्त होने के तुरंत बाद वसूली अधिकारी, डीआरटी, रांची से सीधे प्राप्त कर सकते हैं।
10. सफल बोलीदाता/सर्वोच्च बोलीदाता को ईएमडी के समायोजन के उपरांत बैंक के अगले कार्यकारी दिवस को अपराह्न 4.00 बजे तक वसूली अधिकारी, डीआरटी, रांची के पक्ष में अथवा **चालू खाता नं. 31598921087, भारतीय स्टेट बैंक, इंद्रपुरी शाखा, रांची,** आर. पी. सं. 389 ऑफ 2015 के पक्ष में **आरटीजीएस के जरिए** बोली/बिक्री रकम की 25% राशि का डिमांड ड्राफ्ट/पे आर्डर तैयार कर इस न्यायाधिकरण के पास जमा करना होगा, अन्यथा ईएमडी जब्त कर ली जाएगी।
11. सफल बोलीदाता/सर्वोच्च बोलीदाता को सम्पत्ति की नीलामी की तारीख से, संबंधित दिवस को छोड़कर, 15 दिनों के अंदर अथवा 15वां दिन के रविवार अथवा छुट्टी का दिन रहने पर 15वें दिन के बाद वाले प्रथम कार्यालय दिवस को वसूली अधिकारी, डीआरटी, रांची के पास बिक्री रकम के शेष 75% राशि **वसूली अधिकारी, डीआरटी, रांची के पक्ष में अथवा चालू खाता नं. 31598921087, भारतीय स्टेट बैंक, इंद्रपुरी शाखा, रांची,** आर. पी. सं. 389 ऑफ 2015 आरटीजीएस के जरिए के पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट/पे आर्डर के रूप मे जमा करना होगा। साथ में रजिस्ट्रार, डीआरटी, रांची के पक्ष मे रु. 1,000/- तक 2% की दर से तथा संबंधित सकल रकम के 1,000/- से अधिक रहने पर 1% की दर से पाउंडेज शुल्क जमा करना होगा। (डाक द्वारा शेष 75% की राशि जमा किए जाने पर संबंधित रकम ऊपरोक्त वसूली अधिकारी के पास पहुंच जाना चाहिए)।
12. निर्धारित अवधि के अंदर भुगतान करने में विफल रहने पर, नए सिरे से बिक्री की घोषणा जारी कर सम्पत्ति की पुनः बिक्री की जाएगी। बिक्री पर हुए खर्च की रकम की कटौती के उपरांत जमा राशि अधोहस्ताक्षरी द्वारा उचित समझे जाने पर सरकार के पक्ष में जब्त कर ली जाएगी तथा असफल क्रेता के सम्पत्ति से संबंधित सभी दावों अथवा बाद में बिक्री की जाने वाली की रकम के किसी भी हिस्से पर के दावे को समाप्त कर दी जाएगी।
13. सर्वोच्च बोलीदाता को किसी भी लॉट का क्रेता घोषित किया जाएगा बशर्ते कि उनकी द्वारा लगाई गई बोली आरक्षित मूल्य से कम नहीं होनी चाहिए। प्रस्तावित रकम के स्पष्ट रूप से अपर्याप्त पाए जाने पर सर्वोच्च बोली को स्वीकार/रद्द करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी के पास है।
14. सम्पत्ति की बिक्री "जैसे है जहां है" के आधार पर की जाएगी।
15. अधोहस्ताक्षरी के पास बिना कोई कारण बताए अनुचित पाए जाने पर किसी भी अथवा सभी बोलियों को स्वीकार अथवा रद्द करने अथवा किसी भी समय नीलामी को स्थगित करने का अधिकार सुरक्षित है।

मेरे हस्ताक्षर के अधीन 29 नवम्बर, 2021 को रांची में इस न्यायाधिकरण की मुहर द्वारा जारी।

हस्ता/-
(कन्हैया कुमार)
वसूली अधिकारी